न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 67/2016

1. जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्री बिकरसिंह जाति जटसिख निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. बीकरसिंह पुत्र श्री इकबालसिंह जाति जटसिख निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सर्वजीत कौर पुत्री श्री बीकरसिंह पत्नी श्री जगविन्द्रसिंह जात जटसिख निवासी 12 ई.ई.ए. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. चरणजीत कौर पुत्र श्री बिकरसिंह जाति जटसिख निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री शिवनारायण बिश्नोई अधिवक्ता — वादी
2. श्री प्रमोद थोरी अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 08.04.2017**

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 23 एल.एन.पी. पटवार हल्का लाधुवाला के मुश्तर्का खाता संख्या 2/2 के मुरब्बा नम्बर 30 व 31 में कुल 1.597 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को पुश्तैनी जायदाद में प्राप्त हुई है।

वादी के पिता को अब वादी के पिता की कुल भूमि 1.597 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा के हिसाब से मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18 पर कब्जा काश्त घरेलु बंटवारा से चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के दादा से प्राप्त हुई है।

वादी के हिस्सा में उक्त कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा बनता है तथा वादी का भी उक्त आराजी में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को बराबर का हक व हिस्सा बनता है। क्योकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि वादी की बहनें तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रियां है जिन्होनें अपना हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी के कहनें में कर दिया है। इस प्रकार वादी अपनें अधिकारों की घोषणा करवानें तथा बंटवारा अपनें हिस्सा की भूमि को अपनें नाम से दर्ज करवानें का हर प्रकार से अधिकारी है।

वादी नें दिनांक 03.05.2016 को प्रतिवादीगण से अपनें हक व हिस्सा की मांग की तो प्रतिवादीगण नें वादी को उसका हिस्सा देनें से साफ इन्कार कर दिया है बस यही वाद कारण है जो वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध लगातार प्राप्त है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अतः वाद वादी बहक खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादिर फरमाया जावे :–

(क) डिक्री घोषणा इस अमर सादिर की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 बीकर सिंह के नाम से दर्ज चक 23 एल.एंन.पी. पटवार हल्का लाधुवाला के मुश्तर्का खाता संख्या 2/2के मुरब्बा नम्बर 30 व 31 में कुल 1.597 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा यानी 0.399 हैक्टर कृषि भूमि वादी के नाम से दर्ज करनें के आदेश दिये जावे।

(ख) खर्चा मुकद्मा दिलवाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 11.07.2016 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये उभय पक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि वादी एवम् प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीया संख्या 2 अपनी वाद वर्णित कृषि भूमि में से अपना 1/4 हिस्सा वादी के दे रही है। इसी प्रकार प्रतिवादीया संख्या 3 अपनी 1/4 हिस्सा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 करे दे रही है

एक्त राजीनाम प्रार्थीगण नें लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर किया तथा संलब्न जबाबदावा के प्रकार डिक्री किया जाता है, तो कोर्द उजर व एतराज नहीं है।

राजीनामा के संलग्न प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा जबाब दावा पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा उसके भाई वादी के हिस्सा में तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा उसके पिता प्रतिवादी संख्या 1 को दिया जावे। इस प्रकार चक 23 एल.एन.पी. पटवार हल्का लाधुवाला के मुश्तर्का खाता संख्या 2/2 के मुरब्बा नम्बर 30 व 31 में कुल 1.597 हैक्टर यानि 1/4 हिस्सा 0.399 हैक्टर का हिस्सा उपरोक्त अंकित प्रकार से दिलाया जावे।

पैरोकार राज द्वारा स्टेट की और से जबाब पेश कर कथन किया कि वाद में वर्णित भूमि पुश्तैनी होनें के सम्बंध में वादी स्वयं सिद्ध करे शेष बिन्दू कानूनी है इसलिये राज्य हित के दृष्टिगत रखते हुए निणर्य फरमानें की कृपा करे।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उभयपक्ष में राजीनामा हो चुका है अतः लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार चक 23 एल.एन.पी. पटवार हल्का लाधुवाला के मुश्तर्का खाता संख्या 2/2 के मुरब्बा नम्बर 30 व 31 में कुल 1.597 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विरास्तन जायदाद प्राप्त हुई होने के कारण वादी का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादी अपनें हिस्सा तक घोषित करवाने के अधिकारी होना न्यायोचित पाया। तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपना 1/4 हिस्सा भी वादी के पक्ष में छोड़नें के कारण वादी कुल 1/2 हिस्सा की भूमि प्राप्त करनें अधिकारी है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

–:: आदेश ::–

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत चक 23 एल.एन.पी. पटवार हल्का लाधुवाला के मुश्तर्का खाता संख्या 2/2 के मुरब्बा नम्बर 30 व 31 में कुल 1.597 हैक्टर भूमि में से वादी जोगेन्द्र सिंह को 1/2 हिस्सा अर्थात 0.798 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर